

गृह मंत्रालय  
पूर्वात्तर प्रभाग  
\*\*\*\*\*

**ब्रू प्रवासियों का पुनर्वास**

1. अक्टूबर 1997 में मिजोरम के पश्चिमी भाग में जातीय हिंसा के कारण बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक ब्रू (रियांग) परिवार 1997-1998 में उत्तरी त्रिपुरा में चले गए। लगभग 30,000 ब्रू प्रवासियों (5,000 परिवार) को उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर जिले में स्थापित छह राहत शिविरों में आश्रय दिया गया था।
2. ब्रू जनजाति का मिजोरम को प्रत्यावर्तन 2010 में शुरू किया गया और 2014 तक, लगभग 1622 ब्रू परिवारों (8,573 व्यक्ति) को छह बैचों में प्रत्यावर्तित किया गया और मिजोरम में बसाया गया।
3. त्रिपुरा के अस्थायी शिविरों में रहने वाले 32,876 व्यक्तियों सहित 5,407 ब्रू परिवारों के प्रत्यावर्तन के लिए 3 जुलाई, 2018 को भारत सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम ब्रू डिसप्लेस्ड पीपल्स फोरम (एमबीडीपीएफ) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परिणामस्वरूप, 30.11.2019 तक समझौते के तहत 1369 व्यक्तियों सहित 328 परिवार मिजोरम लौट गए। ब्रू परिवारों की यह मांग थी कि उनकी सुरक्षा को लेकर उनकी आशंकाओं को देखते हुए उन्हें त्रिपुरा में बसाया जाए।
4. ब्रू परिवारों की मांग को ध्यान में रखते हुए और ब्रू परिवारों के पुनर्वास के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे के स्थायी समाधान पर पहुंचने के लिए, भारत सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार द्वारा ब्रू प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ 16.01.2020 को त्रिपुरा में ब्रू (रियांग) की स्थायी पुनर्वास लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार, प्रत्येक पुनर्वासित ब्रू परिवार को सावधि जमा के रूप में ₹4 लाख की वित्तीय सहायता, 2 वर्षों के लिए मुफ्त राशन, 2 वर्षों के लिए ₹5,000/- मासिक नगद सहायता, ₹1.5 लाख की दर से आवास निर्माण सहायता और 30x40 वर्ग फुट आकार का भूखंड प्रदान किया जाएगा। ब्रू समझौते का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। सभी पात्र 6,935 ब्रू परिवार चिन्हित 12 पुनर्वास स्थलों पर स्थानांतरित हो गए हैं। 11 स्थानों पर सभी 6302 मकान निर्मित हो चुके हैं तथा 12वें स्थान पर भी अब तक 474 मकान निर्मित हो चुके हैं तथा शेष 159 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सभी 6935 परिवारों को गृह निर्माण सहायता की किस्तें, ₹4 लाख की सावधि जमा व ₹5000/- की मासिक नकद सहायता जारी कर दी गई है तथा इन परिवारों को मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। सभी ब्रू लाभार्थियों को सीधे डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

**वित्त वर्ष 2014-15 से ब्रू प्रवासियों के लिए त्रिपुरा सरकार को पुनर्वास योजना(अनुदान सहायता) के लिए जारी व्यय/निधि का वर्षवार विवरण।**

(रु. करोड़ में)

वर्ष	त्रिपुरा
2014-15	35.00
2015-16	30.00
2016-17	22.26
2017-18	25.14
2018-19	45.17
2019-20	28.38
2020-21	140.00
2021-22	130.12
2022-23	158.84
2023-24	252.92
2024-25	45.51
2025-26	30.65

\*\*\*\*\*